rojgar with ankit

Polity

CAG

→ Art. 148

→ Art. 149 – CAG के कार्य

↳ 1976 से → लेखा परीक्षा (Auditing)

CAG → Controller General of Accounts

↳ Accounting (लेखांकन)

Art 151 → CAG की रिपोर्ट ⇒ CAG केंद्र / संघ सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखते हैं। संसद इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति (Public Account Comm.) को देती है।

⇒ लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की जांच करती है।

↓

CAG को इस समिति का मित्र और मार्गदर्शक (friend & guide) कहा जाता है।

⇒ राज्य सरकार की रिपोर्ट ⇒ राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इनकी रिपोर्ट विधानमंडल (legislature) के समक्ष रखवाते हैं।

* राजभाषा *
[Official language]

⇒ Part (भाग) ⇒ 17 XVII, Art. 343 - 351

⇒ 8 वी अनुसूची में - राजभाषा
- मूल संविधान (Original Constitution) - 14 भाषायें
- वर्तमान (Present) ⇒ 22 भाषायें

Art. 343 ⇒ संघ की राजभाषा सम्बंधी प्रावधान दिया गया है।

Art 343 (1) ⇒ संघ की राजभाषा (Offical language of union) ⇒ हिन्दी

" " लिपि (Script of union) ⇒ देवनागरी

⇒ Note :- राष्ट्रीय भाषा (National language) कोई नहीं है।

⇒ संविधान के लागू होने की तिथि (26 Jan 1950) को हिन्दी को राजभाषा भाषा का दर्जा दिया गया था, किन्तु इसे लागू नहीं किया गया।

राष्ट्रभाषा (National language)

राजभाषा (Official language)

⇓

किसी देश में सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल (Use) होने वाली भाषा होती है।

↳ किसी देश में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है यह देश की आधिकारिक भाषा होती है और देश का प्रतिनिधित्व करती है।

राष्ट्रभाषा देश की संस्कृति से जुड़ी होती है।

Art. 343 (2) → संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों (15 year's) की अवधि (1950 - 1965) तक शासकीय प्रयोजनों (official function's) के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा।

⇒ संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की अवधि को 1965 से आगे बढ़ा सकती है।

राजभाषा अधिनियम 1963
official language Act 1963 ⟹ यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया (The Act Passed by the Parliament)

↳ 26 Jan. 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा होगी, लेकिन हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी प्रयोजनों (functions) में प्रयोग की जाती रहेगी।

Art. 344 → राजभाषा आयोग (official language Commission)

↳ संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद गठन (formation) = 1955

↳ अध्यक्ष (Chairman) ⇒ बी० जी० खेर

↳ अन्य सदस्य ⇒ 1955 ⇒ 14 सदस्य

⇓

वर्तमान में अन्य सदस्यों की संख्या ⇒ 22

⇓

इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

बालगंगाधर खेर